(c) if the answer to part (a) above be in the negative what are the reasons for delay and by when it is likely to be submitted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI LALIT VIJAY SINGH): (a) to (c) The Committee on 'One Rank One Pension' considered all aspects ol' the issue but was unable to arrive at a consensus. Thereafter, discussions were held with the various concerned Deptts/Ministries and a scheme to provide adhoc increase in pensions to Defence personnel, below officer level, who retired before 1-1-1986, was approved by the previous Government on 1st November 1990. This decision is twins reviewed by the present Governmeat.

Production of light attack helicopters

648. SHRI SURESH KALMADI: Wil' the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 1471 given in the Rajya Sabha on the 21st August, 1990 and state;

(a) whether the feasibility study under taken by HAL for the production of Light Attack Helicopter has been completed;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative; by when it te likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI LALIT VIJAY SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) It is not in Public interest to divulge these details.

(c) Does not arise.

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिये नयी योजनाएं

649. **डा. अबरार अहमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए कोई नई योजना बनाई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के कल्याणार्थ अनेक कार्यक्रम चालू हैं जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं–ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना और शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम तथा नेहरू रोजगार योजना ।

अभी तक कोई नई स्कीम तैयार नहीं की गई है ।

अल्पसंख्यकों के लिए पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम

650. डा. **अबरार अहमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई सरकार भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम को प्राथमिकता देगी, यदि हां, तो क्या सरकार के इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को कोई अनुदेश जारी कर दिये है या जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) सरकार ने हाल ही में देश के अनेक भागों में हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत क्या-क्या कदम उठाये हैं और उनका मददेवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण, मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) :(क) सरकार अल्प संख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम के प्रति गंभीरता से वचनबद्ध है । 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन को नियमित रूप से मानिटर करने के लिए हाल ही में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल समिति पुनर्गठित की गई है । सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पुनः अनुरोध किया गया है कि वे समयबद्ध कार्रवाई योजना के अनुसार मुख्य सचिवों के स्तर पर नियमित आधार पर त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करें । राज्य सरकारों

तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश दें कि विशेष रूप से 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा इसे मानिटर करने हेतु जिला स्तरीय समितियां गठित करके अपने स्तर पर मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करें।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

निर्माण के लिए लंबित दूरदर्शन धारावाहिक

651. डा. अ रार अहमद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे धारावाहिकों की वर्तमान संख्या कितनी है जिन्हें सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है, परन्तु उन्हें दूरदर्शन पर प्रसारित नहीं किया जा रहा है और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) दूरदर्शन द्वारा किसी धारावाहिक को स्वीकृति दिये जाने के वर्तमान मानदण्ड और प्रक्रिया क्या है और दूरदर्शन धारावाहिकों के निर्माण के लिए लंबित आवेदनों की वर्तमान संख्या कितनी है और उन पर कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ; और

(ग) सरकार में परिवर्तन के बाद से भविष्य में कितने धारावाहिकों के निर्माण के लिये अनुमति दी गयी है और उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) इस समय, प्रायोजित कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत 13 धारावाहिकों का प्रसारण किया जाना है, क्योंकि संबंधित निर्माताओं द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई है। कमीशण्ड-स्कीम के अन्तर्गत 10 धारावाहिक अनुमोदित हैं जिनका निर्माण विभिन्न चरणों में है।

(ख) दूरदर्शन धारावाहिकों के चयन के लिये वर्तमान मानदण्ड एवं प्रक्रिया विवरण में दिये गये हैं। (नीचे देखिए)

दूरदर्शन ने अक्तूबर, 1990 में प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय नेटवर्क हेतु टी. वी. धारावाहिकों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये थे। विज्ञापनों के उत्तर में 3516 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

कमीशण्ड स्कीम के अन्तर्गत दूरदर्शन धारावाहिकों के निर्माण हेतु प्रस्ताव दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों को बराबर मिलते रहते हैं।

(ग) नयी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दूरदर्शन द्वारा कोई नया धारावाहिक अनुमोदित नहीं किया गया है। धारावाहिक दूरदर्शन द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं न कि सरकार द्वारा।

विवरण

दूरदर्शन धारावाहिकों के लिए प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ मानदण्ड एवं प्रक्रिया

प्रायोजित धारावाहिक : प्रायोजित दूरदर्शन धारावाहिकों के लिए बाहरी निर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों को जो सभी प्रकार से पूर्ण हों, विषयवार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा और इन प्रस्तावों को चयन प्रत्येक विशिष्ट विषय पर प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए काफी समय से दूरदर्शन की अपेक्षा के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए चयन समिति के सम्मुख रखा जायेगा ताकि प्रत्येक श्रेणी के बारे में स्पष्ट रूप से प्रस्तावों का चयन किया जा सके। चयन समिति में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) अपर/उप महानिदेशक, दूरदर्शन जो आमंत्रित प्रस्तावों के संबंध में कार्यक्रम की विशिष्ट शैली की जानकारी रखते हों और (ख) सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित पैनल में से कम से कम 3 गैर सरकारी विशेषज्ञ (जिनमें से एक महिला सदस्य होंगी) होंगे।